

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-110016

फा.नं. 14-3/2023/स्थापना. (विविध)

दिनांक: अक्टूबर 05, 2023

परिपत्र

यह देखा गया है कि जिन पात्र कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान वर्दी पहनना आवश्यक है, वे परिपत्र संख्या एफ. 37-1/2014-15/जीए दिनांक 31.08.2023 जारी करने के बाद भी निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

कार्यालय परिसर में अनुशासन एवं मर्यादा बनाए रखने के लिए उक्त परिपत्र में उल्लिखित वर्दी का विवरण इस प्रकार है:

- i. पुरुष कर्मचारी गहरा नीला (Navy Blue) पैंट और हल्के नीले रंग की कमीज और औपचारिक जूते पहनेंगे।
- ii. महिला कर्मचारी नीली साड़ी या स्लेटी (Grey) सलवार के साथ हल्के नीले रंग की कमीज और औपचारिक जूते पहनेंगी।

अतः सभी पात्र कर्मचारियों को एक बार फिर से निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश का कड़ाई से अनुपालन करें तथा कार्यालय समय के दौरान निर्धारित वर्दी पहनें। अनुपालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

सभी एमटीएस, ड्राइवरो से अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करें और कार्यालय परिसर में उचित शिष्टाचार बनाए रखें।

नता रूक्मिणी
05/10/23

प्रभारी, स्थापना अनुभाग

लिपि :

सभी पात्र एमटीएस और ड्राइवर

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव - माननीय कुलपति की जानकारी हेतु
2. रजिस्ट्रार के निजी सहायक - जानकारी हेतु
3. वित्त अधिकारी
4. प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
5. सिस्टम विश्लेषक - संस्थान की वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ